Australian Government
Department of Health

Australian Government
Aged Care Quality and Safety Commission

वयोवृद्ध देखभाल अधिकार-पत्र (Charter of Aged Care Rights)

मेरे पास:

1. सुरक्षित तथा उच्च गुणवत्ता की देखभाल और सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है;
2. गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार है;
3. अपनी पहचान, सँस्कृति तथा विविधता को मूल्य दिए जाने और समर्थन प्राप्त करने का अधिकार है;
4. दुर्व्यवहार और उपेक्षा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है;
5. अपनी देखभाल और सेवाओं के बारे में इस प्रकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे समझ पाने में मैं सक्षम हूँ;
6. अपने बारे में सभी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें मेरे अधिकारों, देखभाल और सेवाओं के बारे में जानकारी शामिल है;
7. अपनी देखभाल, तथा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर नियंत्रण और विकल्पों के बारे में चयन करने का अधिकार है, जिसमें विकल्पों के चयन में व्यक्तिगत खतरे शामिल हैं;
8. अपने दैनिक जीवन, धन-संबंधी मामलों और संपत्ति के व्यक्तिगत पहलुओं पर नियंत्रण, और इनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार है;
9. अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है;
10. अपनी बातों को सुने और समझे जाने का अधिकार है;
11. अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से समर्थन प्राप्त करने और अपनी ओर से बोलने का अधिकार है, जिसमें वृद्ध देखभाल अधिवक्ता शामिल हैं;
12. प्रतिशोध से मुक्त होकर शिकायत करने और अपनी शिकायतों का निष्पक्षता और शीघ्रता से समाधान किए जाने का अधिकार है;
13. व्यक्तिगत गोपनीयता और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखे जाने का अधिकार है;
14. अपने साथ किए जाने वाले व्यवहार पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार है।

उपभोक्ता

....

उपभोक्ता (या प्राधिकृत व्यक्ति) के हस्ताक्षर (यदि हस्ताक्षर किए जाएँ)

....

उपभोक्ता का पूरा नाम

....

प्राधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम (यदि लागू हो)

प्रदाता

....

प्रदाता के कर्मीदल के सदस्य के हस्ताक्षर और पूरा नाम

....

प्रदाता का नाम

/ /

उपभोक्ता को अधिकार-पत्र दिए जाने की तिथि

/ /

उपभोक्ता (या प्राधिकृत व्यक्ति) को अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिए जाने की तिथि

वयोवृद्ध देखभाल अधिकार-पत्र (Charter of Aged Care Rights)

उपभोक्ता

उपभोक्ताओं के पास वयोवृद्ध देखभाल अधिकार-पत्र (चार्टर) पर हस्ताक्षर करने का विकल्प उपलब्ध है। यदि उपभोक्ता हस्ताक्षर न करने का चयन करें, तो भी वे देखभाल और सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

यदि कोई उपभोक्ता अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लेता है, तो वह इस बात के लिए अपनी अभिस्वीकृति देता है कि उसके प्रदाता ने उसे अधिकार-पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराई है, और उसे निम्नलिखित बातें समझने में सहायता दी है:

- वृद्ध देखभाल सेवा के संबंध में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी; तथा
- अधिकार-पत्र के तहत उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी।

प्रदाता

वृद्ध देखभाल कानून के तहत प्रदाताओं के लिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाने में सहायता देना और प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने का समुचित अवसर देना आवश्यक होता है। प्रदाताओं के लिए उपभोक्ताओं को अधिकार-पत्र की एक प्रति देना आवश्यक होता है, जिसमें:

- प्रदाता के कर्मीदल के सदस्य के हस्ताक्षर हों;
- प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को अधिकार-पत्र की प्रति दिए जाने की तिथि हो; और
- प्रदाता द्वारा उपभोक्ता (या उपभोक्ता द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति) को अधिकार-पत्र की प्रति पर हस्ताक्षर करने का अवसर दिए जाने की तिथि हो;
- उपभोक्ता (या उपभोक्ता द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति) के हस्ताक्षर हों (यदि वह हस्ताक्षर करने का चयन करे, तो); तथा
- उपभोक्ता (और उपभोक्ता द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति, यदि लागू हो तो) का पूरा नाम हो।

प्रदाता को अपने अभिलेखों के लिए हस्ताक्षरित अधिकार-पत्र की एक प्रति सहेजकर रखना आवश्यक होगा।